

25-18 काल उभयपक्ष उपर। वास्ते कायमी तन्वी पत्रा० दि० 13-11-18 को पेश हो।

13-11-18 काल उभयपक्ष उपर। वास्ते कायमी पत्रा० दि० 11-5-18 को पेश हो।

11-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चूली पर पेश हुई। वादीगण उम्मेदसिंह, हरीसिंह तथा प्रतिवादीगण धरंगा, मु० लाली, सुनीता उप० हैं। पक्षकारों ने वाजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि ख० नं० 437, 274/905, 539 ग्राम धावा के वाकत दोनों पक्ष रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बकास रखेंगे। इसी अनुसार वादीगण के दावे का निस्तारण कर दिया जावे। प्रतिवादी नं० 2 की ओर से हम अन्य प्रतिवादीगण जिम्मेदारी लेते हैं उक्त निर्णय दावा उनवानी लाली वगैरा बनाम भरतसिंह वगैरा मु० नं० 143/08 के निर्णय तक प्रभावी रहेगा।

उम्मेदसिंह  
हरीसिंह  
कायमी  
11-5-18  
सुनीता

प्रस्तुत वाजीनामा अनुसार उभयपक्षकारान को स्याई निषेधाज्ञा से जाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख० नं० 437, 274/905, 539 ग्राम धावा की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बकास रखें। यह निर्णय दावा नम्बर 143/08 उनवानी लाली वगैरा बनाम भरतसिंह वगैरा के निर्णय तक प्रभावी रहेगा। फर्च डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो सर्व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(कमलजोत जाट)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
स्व  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

दस्तावेज नं -  
वादीगण  
की सुनीता  
(कार्य) के र  
जाती है कि  
लोक अ  
नं० 437 रक  
गर्ड की यथ  
/08 उनवा  
य का हिस्स  
ह आज तर्क  
उप जिला नजिर  
दपत्र के लि  
क्ति पत्र के  
दर्शों के लिए  
रुपये  
दियों के लि  
निस्तर की फ  
देहिना की त  
जोड  
अंतर  
दो 3

नम्बर  
अहक  
हुक्म  
में

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) चूली

पीठासीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

भरतसिंह पुत्र गंभीरसिंह, राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

हरिसिंह पुत्र भरतसिंह, राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

उम्मेदसिंह पुत्र गम्भीरसिंह, राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

---वादीगण

बनाम

लाली पत्नी मंग्या, चमार निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

चनखान पुत्र श्री मंग्या, चमार निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

छंगा पुत्र श्री मंग्या, चमार निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

सुनीता पत्नी छंगा, चमार निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

कदना नं - 206/2010

वादीगण की ओर से वादी उम्मेदसिंह, हरिसिंह एवं प्रतिवादीगण की ओर से छंगा बैरवा, लाली, सुनीता की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 11.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्षकारान को भूमि 437 रकबा 0.64 है0, 274/905 रकबा 1.20 है0, 532 रकबा 1.10 है0 की मौका एवं खर्च की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं यह निर्णय दावा संख्या 2/08 उनवानी लाली वगैरा बनाम भरतसिंह वगैरा के निर्णय तक प्रभावी रहेगा। राजीनामा भी का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 11.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



बाबूलाल जाट  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

की पत्रा  
की पत्रा  
532  
1.10 है0  
मौके  
नुसार वादीगण  
प्रतिवादी नं 2  
मेदारी लेते है  
रचना  
अभयपक्षकारान  
ता है कि  
ग्रामधावा  
रके /  
लाली वगैरा  
प्रभावी  
पत्रापी  
स्व वाद  
अध्यक्ष  
लोक अदालत

उपस्थित उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- फूल

प्रतिवादी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 11/5/18

पक्ष - फूल  
अन्तर्गत धारा 206/10

बनाम लाली चौक

188 P.T. Act

उक्त प्रपत्र में प्रार्थी/वारी श्री उमेश सिंह, हरिसिंह व उनके पत्नी, लाली, सुनी

को के उक्त सम्पत्ति का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो

के लिए तैयार हैं। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुके हैं। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुके हैं। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुके हैं। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

उमेश सिंह  
हरिसिंह

- प्रतिवादी पक्ष 1. देहासिंह
2. प्रेम लाली
- 3.
4. सेवती

प्रतिवादी

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
प्रधानाचार्य पदेन पीईईओ  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम राधेनाथ सिंह फूल

उमेश सिंह, हरिसिंह एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी देहासिंह, लाली, सुनी

उक्त प्रपत्र के रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना

उक्त प्रपत्र के राजीनामा इच्छा पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(हो सदस्य)  
सतीश कुमार शर्मा  
रजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(हो सदस्य) (हो सदस्य)  
सतीश कुमार शर्मा  
रजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(हो सदस्य)  
वीरू लाल शर्मा  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी